

संख्या- 6542/15-7-161551/2001

प्रेम्बर,

श्री. राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, राष्ट्रीय केंद्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2001

विषय:- **पार्क एथर्नोपैरो केन्दरीय स्कूल, 13 लोफोर्नी नायडू मार्ग, कावावाट को सी०बी०एस०की पहिली के संस्था हे असाति प्रमाण का प्रदान करने के लिए है ।**

महोदय,

स्वयंका पत्र पर जो पठ करे का निवेदन है कि कावावाट केन्दरीय स्कूल, 13 लोफोर्नी नायडू मार्ग कावावाट को सी०बी०एस०की पहिली के संस्था हे असाति प्रमाण का दिये जाने हे आ राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् असाति करी है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत संस्थापिका का सभ्य-सम्म पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संभ्रता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संभ्रता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0 मा०शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः संपन्न हो जायेगा ।



Sarla Maeh
MANAGER
Y.M.C.A Centenary School & College
Allahabad

Photo copy
attested
[Signature]

[Signature]
Principal
Y.M.C.A Centenary School
Allahabad.

GIRIDHAR GOPAL IAS
CHAIRMAN
MUTUAL TRIBUNAL U. P.

- 15। संस्था शैक्षिक स्व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों को वेतन इतनी बढ़ायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उ०म० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। उक्त इलों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुरोधित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। राम कुमार ।
विशेष सचिव ।

पृ० सं०- 65421 (1/13-7-55) दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संपुक्त शिक्षा निदेशक, **काशीवाहा** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **काशीवाहा** ।
- 4- निरीक्षक, आगत भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।

प्रमुख कार्यवाही हेतु केन्द्रीय स्कूल काशीवाहा ।
साई फास ।



Photo copy
attested

lme

SIRIDHAR GOPAL, IAS
CHAIRMAN
INDUSTRIAL TRIBUNAL U. P.

आज्ञा से,

। अखिलेश चन्द्र गुप्त ।
अनु सचिव ।

Sarla Masih

MANAGER

Y.M.C.A. Centenary School & College
Allahabad

Principal

Y.M.C.A. Centenary School
Allahabad.